

उपायुक्त सह-जिला-दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक-168/रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
गुमला।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची।

गुमला, दिनांक-27-01-25

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा 132 के0भी0 द्विपथ कोलेबिरा- कामडारा संचरण लाईन निर्माण के लिए गैरमजरुआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 2251/राँची दिनांक - 31.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा 132 के0 भी0 द्विपथ कोलेबिरा- कामडारा संचरण लाईन निर्माण में पड़ने गैरमजरुआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

अंचल का नाम	मौजा	खाता नं0	प्लॉट	रकबा (हे0)	किस्म
कामडारा	मुर्गा	60	295,298	0.531492	जंगल झाड़ी
	लोएंगा	107	937	0.257962	जंगल झाड़ी
बसिया	किन्दिरकेला	113,127	1233,1153,1289,1119	0.5530958	जंगल झाड़ी
	आरया	230	57	0.507665	जंगल झाड़ी
	कलिगा	159	2120,1794	0.285508	जंगल झाड़ी
	बसिया	249	327	0.299716	जंगल झाड़ी
			कुल	2.4354388	

अतः जिला कल्याण पदाधिकारी गुमला के पत्रांक-4867 दिनांक-31.12.2025 के द्वारा निर्गत Form -I के आलोक में उपरोक्त वर्णित गैरमजरुआ भूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि पर 132 के0 भी0 द्विपथ कोलेबिरा- कामडारा संचरण लाईन का निर्माण के लिये अनापत्ति-प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपायुक्त,
गुमला।